

18/03/2026

ई पत्रावली संख्या-37533

प्रेषक,  
विनीत कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
✓ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय: राज्य योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के कुल 03 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों जिसके अन्तर्गत मार्गों की कुल लम्बाई मार्ग की कुल लम्बाई 9.30 किमी. तथा कुल लागत रु. 491.60 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रु 491.60 लाख (रुपये चार करोड़ इक्यान्वे लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु रु0 30.00 हजार (रु0 तीस हजार मात्र प्रत्येक कार्य हेतु रु0 10.000/-) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमोदित लागत (धनराशि लाख में)		चालू वित्तीय वर्ष में 2025-2026 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
			विभागीय टी.ए.सी. द्वारा	शासन द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1124/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मदकोट से रोपाड होते हुए राप्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (05.00 कि0मी0) (द्वितीय चरण स्टेज 1)(प्रोजेक्ट आई0डी0 2541 )	5	136.77	136.77	0.10
	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1122/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के	3	111.63	111.63	0.10

EE(P-1)

23/03

EX-100(P)

29/03/26

2.	अन्तर्गत देवीबगड से चमराड तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (03.00 कि०मी०) (द्वितीय चरण स्टेज 1)(प्रोजेक्ट आई०डी० 2397 )				
3.	IMPROVEMENT OF ROAD IN MADKOTE MARKET O FDHARCHULA CONSTITUENCY UNDER STATE PLAN AT MUNSYARI (विस्तृत आगणन) (E.D.P.R. No-8075)	1.3	243.20	243.20	0.10
योग		9.30	491.60	491.60	0.30

2. उपरोक्त स्वीकृतियों निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- i. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- ii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- iii. शासनादेश संख्या 383/III(1)/19-190 (PWD) 01 टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- iv. शासनादेश संख्या 1403/III/(2)/21-08 (सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- v. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य अन्य किसी योजना से आच्छादित न हो ताकि कार्य कर पुनरावृत्ति/दोहराव न हो।
- vi. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- I/276791/2025 ई पत्रावली संख्या- 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
- vii. उक्त तालिका में अंकित कार्य पर इस प्रतिबंध के अधीन सहमति प्रदान की जाती है कि कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित स्थलों के OGL/X-Section रिकार्ड कर लिये जाये तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Level के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा, आंकलित कर की जाए। इसके साथ ही कार्य कराने से पूर्व भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
- viii. स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणनों के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

- ix. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- x. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- xi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- xiii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- xiv. आगणनों में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- xv. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- xvi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xvii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xviii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xix. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी.

- xx. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।  
यूटिलिटी शिपिंग के धनावंटन से पूर्व मार्ग के प्लान में यूटिलिटी की वर्तमान लोकेशन एवं शिफ्ट किये जाने वाली लोकेशन अंकित कर इसका अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता द्वारा करा लिया जाय।
- xxi. कार्य करने से पूर्व IRC SP-63-2018 के अनुसार किया गया डिजायन अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करवा लिया जाय।
- xxii. इण्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य मार्ग के सबग्रेड/ Base Courses को विशिष्टियों के अनुसार (L-Section , एवं X-Section सहित) प्राप्त कर, अधिशासी अभियन्ता के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त किया जाय।
- xxiii. नालियों एवं X-Drainage Structure के निर्माण से पूर्व सभी नालियों एवं X-Drainage Structure के L-Section एवं Outfall के Plan बनाकर इन्हें अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करवा लिया जाय।
- xxiv. कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व , समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाये ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं. -22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/ 375587 /2026 दिनांक 28.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
Vineet Kumar  
Date: 11-03-2026  
13:00:35

भवदीय,

(विनीत कुमार)  
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, असकोट।



वजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/377871/2026  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26030220032  
आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2026

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़के  
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अव तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		7070000	30000	0	7100000							
योग		7070000	30000	0	7100000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-339/20याता०क (वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2025,

दिनांक-24/माच/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, अमरकोट
2. अधीक्षण अभियन्ता, 03 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरकोट
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून